

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-.....


संख्या-12/निजी-70270/2023 सा0प्र0-...../श्रीमती श्रीति कुमारी, बि0प्र0से0 (को0क्र0-749/26), वरीय उप समाहर्ता, खगड़िया को उनके द्वितीय संतान के जन्म के निमित्त बिहार सेवा संहिता के नियम-220 एवं वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-640/वि0, दिनांक-19.01.2015 की कंडिका-2 के तहत दिनांक-01.06.2026 से दिनांक-27.11.2026 कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(राजीव रंजन दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70270/2023 सा0प्र0-896/...../पटना, दिनांक-20/..5./2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, खगड़िया को उनके पत्रांक-03 (मु0)/स्था0, दिनांक-29.04.2026 के क्रम में/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती श्रीति कुमारी, बि0प्र0से0 (को0क्र0-749/26), वरीय उप समाहर्ता, खगड़िया/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।